केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2020/5 दिनांक: 14.01.2020
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00002
CICOM/R/2019/00862

**अपीलकर्ता : श्री नरेन्द्र मोहन मेहता,**
**सी - 12/17, यमुना विहार,**
**दिल्ली - 110053.**

निर्णय की तारीख: 14.01.2020

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | गैरदिनांकित |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 13.12.2019 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री आर. पी. ग्रोवर |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 26.12.2019 |
| प्रथम अपील की डायरी सं. | 20736/31.12.2019 |

आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

1. अपीलकर्ता द्वारा गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-
1. आपने दिनांक 30.05.2018 को Appeal No. CIC/SA/A/2016/000707 एक पत्र O/o The Commissioner of Industries, Udyog Sadan को Issue कर SDM द्वारा दी गई "Action Taken Report" पर Point-wise comments on allegations of Non-compliance of CIC Verdict पर Reply देने को कहा गया था, क्या Respondent ने SDM द्वारा दी गई रिपोर्ट का प्वाईट वाइज कोई जवाब दिया, कृपया सूचित करें । तथा

2. SDM द्वारा दी गई रिपोर्ट के प्वाइंट नं. 2 पर दि0 30.04.14 को मुझे जवाब दिया जाता है कि Concerned Society file is not traceable & to the other Sh. Imamuddin जी को कहा जाता है कि "Collect the copy of Bye-laws" एक ही तारीख का यह Reply है । क्या Respondent द्वारा दी गई सूचना RTI Act, 2005 व Right to Public Service Act, 2011 का उल्लंघन नहीं है । क्या यह accountability & transparency का violation नहीं है । क्या Respondent द्वारा Miss-use of power & Malafide intention का जीता जागता उदाहरण नहीं है? कृपया उपरोक्त सूचना देकर कृतार्थ करें ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना:-

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा प्रदान की गई बिंदुवार सूचना निम्नानुसार है:-
1. Reply on this point has already in response to your previous RTI dated 05.06.2019 vide our letter no. CICOM/R/2019/00464 dated 28.06.2019 (copy enclosed). Further seeking information in form queries, personal opinion of the CPIO is not covered under RTI Act.

O/C

2. As per Point no. 1.

प्रथम अपील का आधार:-

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि "RTI के माध्यम से कुछ सूचनाएं CPIO श्री आर. पी. ग्रोवर जी से देने हेतु प्रार्थना की थी, परन्तु सम्बंधित मांगी गई सूचना असंतोषजनक हैं तथा RTI Act, 2005 के नियमों Accountability & Transparency का सरासर उल्लंघन है" । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है कि मांगी गई दोनों सूचनाओं का साफ-साफ उत्तर दिलवाया जाए ।



C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
14 JAN 2020
D. No.......
Initials.......

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की टिप्पणी:-

4. प्रथम अपील का तर्कसंगत निपटान के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री आर. पी. ग्रोवर से लिखित टिप्पणी मांगी गई, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. ग्रोवर ने अपनी लिखित टिप्पणी में उल्लेख किया है कि:-

1. Under RTI Act CPIO is supposed to provide the information available on record only and further personal opinion of CPIO or any queries is not covered under definition of information. Where as appellant repeatedly requesting for confirmation whether that reply given by the respondent is point wise or not? For which I already informed that seeking in form of queries, personal opinion of CPIO is not covered under RTI Act.

2. In this point appellant seeking the opinion of CPIO whether this action is violation of RTI Act or not. Reply was given accordingly as per point no. 1.

3. Although this point is not mention in RTI however closure of the file. It was also informed to the appellant vide letter dated 28.06.2019 in response to his previous RTI dated 05.6.2019.

प्रथम अपील की सुनवाई:

5. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. 9968400960 पर दिनांक 07.01.2020 को 10.25 बजे मामले की सुनवाई की गई तथा आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की टिप्पणी सहित अपीलकर्ता के दिनांक 05.06.2019 के आर.टी.आई. आवेदन एवं उसके प्रतिउत्तर में श्री आर.पी.ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2019/00464 दिनांक 28.06.2019 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना का भी अवलोकन किया गया ।

**निष्कर्ष एवं निर्णय:**

6. **प्रथम अपील की सुनवाई एवं उपलब्ध सभी दस्तावेजों के अवलोकन करने के पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं बिल्कुल तथ्यानुसार एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत ही हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

7. तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।

8. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

**(योगेश कुमार सिंघल)**
**प्रथम अपीलीय अधिकारी**
**दूरभाष - 011-26162290**

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. Sh. R. P. Grover, CPIO & DO to IC (YS), CIC, New Delhi.

14/01/20

Zakher 14/1/2020